कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार–भाटापारा(छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/552/ भू0अ0/रा.नि.वर्क./2020 बलौदाबाजार दिनांक 26/03/2020

छत्तीसगढ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/2082/कृ.आ.व्य./2016–17/14–2 नवा रायपुर, दिनांक 26.03.2020 के परिपालन में जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना (COVID-19) वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एक साथ एक स्थान पर समूहों में एकत्रित/उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं नियंत्रित करने के लिए बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में फसल कटाई एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य के संबंध में सलाह/निर्देश जारी किये जाते हैं जो निम्नानुसार हैः–

01. फसल कटाई में Social distancing की सख्ती से पालन की जावें। खेत में फसल काटने, खाना खाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी रखी जावे। खाने के बर्तन अलग–अलग रखें तथा प्रयोग पश्चात् साबून से अच्छी तरह साफ करें।
02. कटाई एवं अन्य कृषि कार्य जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों/मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है उन कार्यो को करते समय व्यक्तियों/मजदूरों के बीच कम से कम 1–2 मीटर की दूरी रखते हुए कटाई का कार्य करने एवं कार्य में आते–जाते समय निर्धारित दूरी बनाकर कार्य करें।
03. एक व्यक्ति द्वारा काम किये जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कदापि काम में न ले। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने–अपने उपकरण से ही काम लेवें।
04. फसल कटाई के दौरान व्यक्तियों/मजदूरों द्वारा नाक, मुँह में कपड़ा, गमछा या मास्क से ढंककर फसल कटाई का कार्य किया जावें।
05. कटाई के दौरान सभी व्यक्ति अपनी–अपनी पानी की बोतल रखें।
06. अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार, सरदर्द , बदनदर्द आदि के लक्षण हैं तो उसे फसल कटाई कार्य से अलग रखें तथा तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्यकर्मी को सूचित करें।

अतः उक्त निर्देशो का पालन करते हुए फसल कटाई प्रयोग काप कैलेण्डर मौसम रबी वर्ष 2019–20 द्वारा निर्धारित समय–सीमा में किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

Kluwel
26-03-2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/553/ भू0अ0/रा.नि.वर्क./2020 बलौदाबाजार दिनांक 26/03/2020

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त भू–अभिलेख छ.ग. अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार एवं नोडल अधिकारी (कोरोना वायरस रोकथाम) को सूचनार्थ।
05. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सर्व तहसीलदार. बलौदाबाजार/पलारी/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमशः–

F:\Bhu-abhilekh\Work Load RI\LETTER\LETTER.docx

Scanned with CamScanner

07. उप संचालक (कृषि) विभाग बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ।

09. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, बलौदाबाजार–भाटापारा को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।

26-03-2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

F:\Bhu-abhilekh\Work Load RI\LETTER\LETTER.docx

Scanned with CamScanner